

क्रम-संख्या-199(ख)



रजिस्ट्रेशन नम्बर-एस०एस०पी०/एल०
डब्ल्यू०/एन०पी०-91/2014-16
लाइसेन्स टू पोस्ट एट कन्सेशनल रेट

सरकारी गजट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेशीय सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

विधायी परिशिष्ट
भाग-4, खण्ड (ख)
(परिनियत आदेश)

लखनऊ, बृहस्पतिवार, 15 अक्टूबर, 2020
आश्विन 23, 1942 शक सम्बत्

उत्तर प्रदेश शासन
राज्य कर अनुभाग-2

संख्या 1183/ग्यारह-2-20-9(47)-17-उ०प्र०अधि०-1-2017-आदेश(151)-2020
लखनऊ, 15 अक्टूबर, 2020

अधिसूचना

प०आ०-266

उत्तर प्रदेश माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 1 सन् 2017) की धारा 9 की उपधारा (3) और (4), धारा 11 की उपधारा (1), धारा 15 की उपधारा (5) और धारा 148 के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करके राज्यपाल, इस बात का समाधान हो जाने पर कि लोकहित में ऐसा करना आवश्यक है, और परिषद की सिफारिशों पर, एतद्वारा अधिसूचना संख्या क०नि०-2-843/ग्यारह-9(47)-17-उ०प्र० अधि०-1-2017-आदेश(10)-2017, दिनांक 30 जून, 2017 में अग्रतर निम्नलिखित संशोधन करती हैं, अर्थात् :-

उक्त अधिसूचना में, सारणी में,-

(एक) क्रम संख्या 19क के समक्ष, स्तम्भ (5) की प्रविष्टियों में अंक "2020" के स्थान पर अंक "2021" रख दिये जायेंगे;

(दो) क्रम संख्या 19ख के समक्ष, स्तम्भ (5) की प्रविष्टियों में अंक "2020" के स्थान पर अंक "2021" रख दिये जायेंगे;

2-यह अधिसूचना तारीख 01 अक्टूबर, 2020 से प्रवृत्त हुई समझी जायेगी।

आज्ञा से,
आलोक सिन्हा,
अपर मुख्य सचिव।

IN pursuance of the provision of clause (3) of Article 348 of the Constitution, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of Government notification no. 1183/XI-2-20-9(47)-17-U.P.Act-1-2017-Order(151)-2020, dated October 15, 2020 :

No. 1183/XI-2-20-9(47)-17-U.P.Act-1-2017-Order(151)-2020

Dated Lucknow, October 15, 2020

IN exercise of the powers conferred by sub-section (3) and (4) of section 9, sub-section (1) of section 11, sub-section (5) of section 15 and section 148 of the Uttar Pradesh Goods and Services Tax Act, 2017 (U.P. Act no. 1 of 2017), the Governor, on being satisfied that it is necessary in the public interest so to do, on the recommendations of the Council, hereby makes the following further amendments in the notification no. KA.NI.-2-843/XI-9(47)-17-U.P.Act-1-2017-Order(10)-2017, dated June 30, 2017, namely :-

In the said notification, in the Table,—

(i) against serial number 19A, in the entry in column (5), for the figures "2020", the figures "2021" shall be *substituted*;

(ii) against serial number 19B, in the entry in column (5), for the figures "2020", the figures "2021" shall be *substituted*;

2. This notification shall be deemed to have come into force with effect from the 1st day of October, 2020.

By order,
ALOK SINHA,
Apar Mukhya Sachiv.

पी०एस०यू०पी०-ए०पी० 322 राजपत्र-2020-(778)-599 प्रतियां (कम्प्यूटर/टी०/ऑफसेट)।

पी०एस०यू०पी०-ए०पी० 51 सा० राज्य कर-2020-(779)-1000 प्रतियां (कम्प्यूटर/टी०/ऑफसेट)।